29-6-2022

पत्रावली पेश हुई। श्री विनोद कुमार शर्मा, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी अनुपस्थित। प्रतिवादी अनुपस्थित। प्रकरण में प्रतिवादी सुनील पेशवानी पुत्र भगवानदास पेशवानी, जाति– सिंधी, निवासी– 65 शिवाजी मार्ग, माउन्ट आबू, जिला– सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, भगवानदास टिल्लूराम एण्ड संस, सब्जी मण्डी, माउन्ट आबू, जिला– सिरोही की ओर से प्रतिवादी के पिता भगवानदास पेशवानी ने उपस्थित होकर लिखित जवाब प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि फर्म भगवानदास टिल्लूमल एण्ड संस का मैं भगवानदास मालिक हूँ तथा सुनील पेशवानी मेरा पुत्र है। यह कि दूध का नमूना संख्या 1434 दिनांक 25.6.2021 को श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा लिया गया था जो जांच में सब स्टेण्डर्ड पाया गया है जो मुझे स्वीकार है। यह मेरा प्रथम अपराध है तथा भविष्य में इस प्रकार की गलती नही करुंगा, इसलिये मेरे विरुद्ध कार्यवाही समाप्त करावे।

प्रकरण में प्रतिवादी की ओर से उसके पिता भगवानदास पेशवानी द्वारा इस न्यायालय में उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत कर जुर्म/गलती स्वीकार कर लिये जाने से प्रतिवादी के पिता भगवानदास को दिनांक 20.6.2022 को सुना गया। प्रतिवादी के पिता भगवानदास ने जवाब में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए प्रकरण को समाप्त करने का अनुरोध किया।

प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली का अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि श्री विनोद कुमार शर्मा, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 25.6.2021 को समय 5.00 पी.एम. पर खाद्य पदार्थों के [illegible] भगवानदास टिल्लुमल एण्ड संस, सब्जी मण्डी, माउन्[illegible]ला– सिरोही पर गये। वहां पर खाद्य कारोबारकर्ता [illegible] को

.....लगातार

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.11.17 16:48:10 IST
Reason: SelfAttested

[illegible], जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001.

हुक्म तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज F.S.S.Act Case No.19/2022	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए

प्रतिवादी सुनील पेशवानी पुत्र भगवानदास पेशवानी, जाति– सिंधी, निवासी– 65 शिवाजी मार्ग, माउन्ट आबू, जिला– सिरोही उपस्थित मिले, जो आम जनता को खाद्य पदार्थ Pasteurised Full Cream Milk (Miss Milky Gold Brand) बेचता है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा निरीक्षण के दौरान आम जनता के उपयोग आने वाले खाद्य पदार्थ Pasteurised Full Cream Milk (Miss Milky Gold Brand) के अमानक होने का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत जांच हेतु नमूना लेने की इच्छा जाहिर करते हुए इसकी सूचना मौके पर उपस्थित गवाह के समक्ष प्रपत्र 5ए में विक्रेता/खाद्य कारोबारकर्ता सुनील पेशवानी को भरकर दी व रसीद प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दुकान के अन्दर डीप फ्रीज में बिक्री हेतु मौजूद Pasteurised Full Cream Milk (Miss Milky Gold Brand) के 98 पैक्ड पाउच (प्रत्येक 500 मिलीलीटर) में से Pasteurised Full Cream Milk (Miss Milky Gold Brand) में से 4 पैक्ड पाउचेज (प्रत्येक 500 मिलीलीटर) को जांच हेतु खरीदा एवं उसकी कीमत राशि रुपये 112/– (रुपये एक सौ बारह मात्र) विक्रेता सुनील पेशवानी को नकद अदा कर खरीद रसीद/बिल प्राप्त किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने लेबल तैयार कर लेबल पर अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) के कोड एवं क्रमांक S-1434, दिनांक, स्थान, खाद्य पदार्थ Pasteurised Full Cream Milk (Miss Milky Gold Brand) आदि अंकित कर उस पर खाद्य कारोबारकर्ता, गवाह के हस्ताक्षर कराये एवं स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् चारों नमूना पाउचेज पर एक–एक लेबल लगाया एवं चारों खरीदशुदा Pasteurised Full Cream Milk (Miss Milky Gold Brand) को अलग अलग कागज में लपेट कर प्रत्येक नमूना भाग पर अभिहित अधिकारी की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप S-1434 को नियमानुसार गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को नियमानुसार सील चपडी किया व प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता व गवाह के हस्ताक्षर कराये व स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् चारों नमूना भागों को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कब्जे/जाप्ते में लिया तथा मौका रिपोर्ट तैयार की, जिस पर विक्रेता, गवाह व आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर है। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय में पॅहुचकर फार्म नम्बर VI की प्रतियां तैयार की व उस पर नमूनें को सीलड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की। नमूना के चारों भागों के साथ फार्म नम्बर VI की एक–एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों को आउटर कवर में बंद किया व नियमानुसार सील चपडी किया [illegible] नम्बर VI की की दो–दो प्रतियां दो लिफाफों में [illegible] चिपकाकर लिफाफों को [illegible] सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 28.6.2022 को नमूने की एक भाग व फार्म नम्बर 6 का एक

......लगातार

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.11.17 16:48:10 IST
Reason: SelfAttested

प्रति. जिला कलेक्टर
सिरोही–307001.

हुक्म तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज F.S.S.Act Case No.19/2022	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए

सील बन्द लिफाफा श्री प्रवीण कुमार, वार्ड बॉय, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं शेष तीन नमूना भाग व फार्म नम्बर 6 का सील बन्द लिफाफा अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) को दिनांक 25.6.2021 को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। इस प्रकार, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा फर्म भगवानदास टिल्लूमल एण्ड संस, सब्जी मण्डी, माउन्ट आबू, जिला– सिरोही में खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता सुनील पेशवानी से खाद्य पदार्थ Pasteurised Full Cream Milk (Miss Milky Gold Brand) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच क्रय करने की कार्यवाही विधिवत की गई है। प्रकरण में खाद्य विश्लेषक, जोधपुर से खाद्य पदार्थ Pasteurised Full Cream Milk (Miss Milky Gold Brand) के नमूना संख्या S-1434 की प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांकः L.S./389/Act/2021/529 दिनांक 26.7.2021 के अनुसार खाद्य पदार्थ Pasteurised Full Cream Milk (Miss Milky Gold Brand) का नमूना अमानक (Sub-standard) पाया गया। इस प्रकार, प्रकरण में यह तथ्य स्पष्ट है कि प्रतिवादी सुनील पेशवानी पुत्र भगवानदास पेशवानी, जाति– सिंधी, निवासी– 65 शिवाजी मार्ग, माउन्ट आबू, जिला– सिरोही ने अमानक (Sub-standard) Pasteurised Full Cream Milk (Miss Milky Gold Brand) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है, जो उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा (1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प. 1(2)कार्मिक/क–4/08 दिनांक 05.4.2012 के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा– 51 के तहत प्रतिवादी सुनील पेशवानी पुत्र भगवानदास पेशवानी, जाति– सिंधी, निवासी– 65 शिवाजी मार्ग, माउन्ट आबू, जिला– सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म भगवानदास टिल्लूमल एण्ड संस, सब्जी मण्डी, माउन्ट आबू, जिला– सिरोही पर राशि रुपये 5,000/– (अक्षरे रुपये पांच हजार मात्र) का जुर्माना आरोपित किया जाता है। साथ ही, प्रतिवादी सुनील पेशवानी को आदेशित किया जाता है कि उक्त आरोपित जुर्माना राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में Crossed Dem[illegible] सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय [illegible] अधिकारी एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही [illegible] करवाये। निर्णय सुनाया ग[illegible]र से कम हो। निर्णय की प्रति [illegible]वे। मिसल वास्ते जुर्माना राशि डी.डी. आयन्दा दिनांक 20.7.20[illegible] को पेश हो।

(के.आर.खौड़)

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001.

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.11.17 16:48:10 IST
Reason: SelfAttested